



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2016/चैत्र 11, 1938

No. 117]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2016/CHAITRA 11, 1938

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2016

सं. एल-1/94/केविविआ/2011.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 (2)(ध) के साथ पठित धारा 61 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टेरिफ अवधारण के लिए निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2012 (जिसे इसके पश्चात् “मूल विनियम” कहा गया) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

### 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

(1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टेरिफ अवधारण के लिए निबंधन एवं शर्तों) (पांचपां संशोधन) विनियम, 2016 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे और 31.3.2017 तक विधिमान्य होंगे।

### 2. मूल विनियम के विनियम 59 का संशोधन :

मूल विनियम के विनियम 59 के खंड (1) के अधीन निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा :-

“परंतु यह कि नियंत्रण अवधि (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016-2017) के अंतिम वर्ष के लिए मानकीय ओएंडएम व्यय 7 लाख रुपए प्रति मेगावाट होंगे।”

टी. राउत, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन-III/4/असा./150]

टिप्पण :

मूल विनियम, भारत के राजपत्र (असाधारण) संख्या 20, भाग III, खंड 4 में 7 फरवरी, 2012 को प्रकाशित किए गए थे, मूल विनियमों का पहला संशोधन भारत के राजपत्र (असाधारण) संख्या 92, भाग III, खंड 4 में 21 मार्च, 2014 को प्रकाशित किया गया, दूसरा संशोधन भारत के राजपत्र (असाधारण) संख्या 06, भाग III, खंड 4 में 5 जनवरी 2015 को प्रकाशित किया गया, तीसरा संशोधन भारत के राजपत्र (असाधारण) संख्या 250, भाग III, खंड 4 में 14 जुलाई, 2015 को प्रकाशित किया गया और चौथा संशोधन भारत के राजपत्र (असाधारण) संख्या 355, भाग III, खंड 4 में 23 अक्टूबर, 2015 को प्रकाशित किया गया था।

**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th March, 2016

**No. L-1/94/CERC/2011 :** In exercise of powers conferred under Section 61 read with Section 178 (2) (s) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2012, as amended from time to time (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”), namely:

**1. Short title and commencement:**

- (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) (Fifth Amendment) Regulations, 2016.
- (2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette and will remain valid till 31.03.2017.

**2. Amendment of Regulation 59 of the Principal Regulations:**

The following proviso shall be added under Clause (1) of Regulation 59 of the Principal Regulations:-

“ Provided that Normative O&M expenses for the last year of the Control Period (i.e. FY 2016-17) shall be Rs. 7 lakhs per MW.”

T. ROUT, Chief (Legal)

[ADVT.-III/4/Exty./150]

**Note:** The Principal Regulations were published in the Gazette of India (Extraordinary) No. 20, Part III, Section 4 on 7<sup>th</sup> February, 2012; the First Amendment to the Principal Regulations was published in the Gazette of India (Extraordinary) No. 92, Part III, Section 4 on 21<sup>st</sup> March, 2014; the Second Amendment to the Principal Regulations was published in the Gazette of India (Extraordinary) No. 6, Part III, Section 4 on 5<sup>th</sup> January, 2015; the Third Amendment to the Principal Regulations was published in the Gazette of India (Extraordinary) No. 250, Part III, Section 4 on 14<sup>th</sup> July, 2015 and the Fourth Amendment to the Principal Regulations was published in the Gazette of India (Extraordinary) No. 355, Part III, Section 4 on 23<sup>rd</sup> October, 2015.